

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 67/2022 (जीसीएमएस 2022/277)

- 1 अमरचन्द पुत्र कुन्दनसिंह उम्र 55 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चक 1 एमएलके-सी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
- 2 जगदीश पुत्र कुन्दनसिंह उम्र 52 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
- 3 सरबासिंह पुत्र कुन्दनसिंह उम्र 44 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण


बनाम

- 1 हंसराज पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
- 2 कालूराम पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 3 सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व. रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 4 राजपाल पुत्र रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 5 विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 6 वीना कुमारी पुत्री रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 7 सन्दीप कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 8 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- 1 श्री सीताराम टाक, वकील वादीगण।
- 2 श्री हरजीत सिंह, वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से।
- 3 स्टेट की ओर से पैरोकार राज घड़साना।



 उपखण्ड अधिकारी
 घड़साना

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

--: निर्णय ::--

दिनांक :- ०७.11.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के स्थाई स्थाई एवं पंजीकृत पते वही हैं जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम तहसील घड़साना के चक 5 एमएलके के प0नं0 32/49 के मु0नं0 23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता में अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण के पिता कुन्दनसिंह के नाम से उक्त रकबा खातेदार नाम दर्ज था जिनकी मृत्यु हो गई एवं वादीगण का एक भाई रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 जायज वारिसान हैं उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर-बराबर 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया व वादीगण के भाई रमेश कुमार का दैहान्त होने के कारण उसका 1/6 हिस्सा उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपनी स्वेच्छा से वादीगण की बिना किसी सहमति के उक्त विवादित रकबा का विभाजन अपनी मनमर्जी से कर वादी संख्या 1 अमरचन्द को किला नं. 5,6,15,16,25 में उसका 1/6 हिस्सा यानि 1.034 हैक्टेयर वा वादी संख्या 2 जगदीश को किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 में उसका 1/6 हिस्सा यानि 1.033 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 सरबासिंह को किला नं0 4 ता 7, 14 ता 14, 24, 25 में उसका 1/6 हिस्सा यानि 1.034 हैक्टेयर बंटवारे में दे दी एवं शेष अच्छी किस्म की भूमि स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सानुसार अपने-अपने कब्जा कास्त में रख ली वर्तमान समय में मौका पर इसी अनुसार काबिज है। वादीगण संख्या 2 व 3 चक 5 एमएलके न रहकर स्थायी रूप से अन्यत्र जगह रहते हैं इसलिए उक्त विवादित रकबे में से अपने हिस्सा का रकबा वादी संख्या 1 को हिस्सा-ठेका पर देकर कास्त करवाते हैं। प्रतिवादीगण जो आपस में मिलीभगत कर उक्त रकबा संयुक्त खाता में होने के कारण इसी का नाजायज फायदा उठाकर अपनी मनमर्जी से वादीगण के हिस्से की भूमि में फेरबदल करते रहते हैं और अनावश्यक रूप से जानबूझकर वाद विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। प्रतिवादीगण ने मिलकर वादीगण की बिना किसी स्वीकृति के टयुबवेल भी किला नं0 1 में लगा लिया जिसका पानी अत्यधिक क्षारिय व लवणीय है जो भूमि के उर्वरा शक्ति व उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को भूमि की किस्म के अनुसार अलग-अलग किलाजात राजस्व रिकॉर्ड में अपना-अपना हिस्सानुसार नाम दर्ज करवाने का कहा और समझाया कि अलग-अलग किलाजात नाम होने से सभी को कृषि भूमि पर मिलने वाला सरकारी लाभ भी प्राप्त हो सकेगा वा आबियाना आदि भरने में भी कोई परेशानी नहीं आयेगी और अपनी-अपनी भूमि का सुधार वा कास्त भी अपनी ईच्छानुसार किया जा सकेगा आप हमारा सहयोग करें और


उपखण्ड अधिकारी
घड़साना


जब तक अपना-अपना हिस्सा किलाजात के अनुसार भूमि की किस्म के अनुरूप बंटवारा होकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने-अपने नाम से दर्ज नहीं हो जाता है तब तक आप इस टयुबवेल के पानी का इस्तेमाल रकबा में न करें क्योंकि पहले से ही आपने हमें जो संयुक्त रकबा है उसमें कम उपजाऊ भूमि है वह दे रखी है इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की बात नहीं मानी और धमकी दी कि वह भूमि को बंजर व अनउपजाऊ बना देंगे और किलाजात के अनुसार खाता विभाजन नहीं होने देंगे और धमकीयां दी कि वह संयुक्त खाता की आड़ में जो आपको हमने रकबा दिया है उसमें टयुबवेल का पानी लगायेंगे वा हानिकारक रसायन डालकर उसे बंजर व अनउपजाऊ बना देंगे बाद में हम जो चाहेंगे वह भूमि हम अपनी मर्जी से रखेंगे और यदि किसी अन्य व्यक्ति को आप भूमि काश्त करने हेतु ठेका हिस्सा पर कास्त करने के लिए दोगे तो उसे हम संयुक्त खाता में रकबा होने के कारण उसे दलबल सहित बेदखल कर स्वयं नाजायज काबिज हो जायेंगे। बस यही वाद कारण जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त हैं। इसलिये वादीगण उक्त संयुक्त रकबा का विभाजन सहखातेदार कास्तकार होने के कारण किलाजात के अनुसार विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग अपना नाम अमलअरामद करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण विवादित रकबा में सह-खातेदार कास्तकार कृषक है और यदि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती नाजायज रूप से काबिज होकर उक्त रकबा की उर्वरा शक्ति को संयुक्त खाता की आड़ में नष्ट कर बंजर व अनउपजाऊ बना देते हैं तो वादीगण को अपूर्ण क्षति होगी व वादीगण के अधिकारों का हनन होगा जिसकी पूर्ति मुद्राओं में आंकी नहीं जा सकेगी, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय से भूमि की किस्मानुसार बंटवारा करवाकर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है व सहखातेदार कास्तकार होने के कारण विवादित रकबा का विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना-अपना हिस्सानुसार नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। अतः वाद पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से निर्णित एवं डिक्रित फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना के चक 5 एमएलके के प0नं0 32/49 के मु0नं0 23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि की किस्मानुसार एवं सिंचाई व रास्ता की सुविधानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सानुसार बंटवारा कर वादीगण प्रत्येक के 1/6 हिस्सा अलग-अलग किलाजात राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि तहसील घड़साना के चक 5 एमएलके के प0नं0 32/49 के मु0नं0 23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि पर अनाधिकृत कृत्य करने व उक्त भूमि की उर्वरा शक्ति ईत्यादी नष्ट करने से व उक्त भूमि को आगे रहन, बैय या स्थानान्तरित करने से बाज व ममनू रहे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 7 के सम्मन तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं आने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया गया। पैरोकार राज द्वारा जवाब स्टेट मय खाता विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद संख्या 01, 02, 03 रिकॉर्ड पर आधारित है। मद संख्या 04, 05, 06 लाईलमी है, सिद्ध करने का भार वादी पर है। मद संख्या 07 लाईलमी व कानूनी है। मद संख्या 8 कानूनी है। अनुतोष क, ख, ग, घ, ङ कानूनी है। इसके साथ टिप्पणी कर निवेदन किया गया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमराह भू0अ0 निरीक्षक पुरानी मण्डी घड़साना, हल्का पटवारी 1 एमएलके-सी तहसील घड़साना के अनुसार चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) के प0न0 32/49 पर पहुंचकर सम्बन्धित पक्षकारान की उपस्थिति मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार मौका नक्शा, कब्जा काश्त, अनुसार भूमि के गुण अवगुण, सड़क रास्ता को मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो निम्नानुसार है : -

1. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 1,10,11,20 रकबा 1.012 है0, 21/0.228 है0, 2 का 0.010 है0, 9 का 0.010 है0, 12 का 0.010 है0, 19 का 0.010 है0, 22 का 0.087 है0 कुल रकबा 1.287 है0 हंसराज पत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी तहसील घड़साना खातेदार।
2. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.0516, 9 का 0.0516 है0, 12 का 0.0516 है0, 19 का 0.0516 है0, 22 का 0.0466 है0 कुल 0.253 है0 सुभाषकुमार पुत्र हंसराज जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी खातेदार।
3. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न 2 का 0.1074 है0, 9 का 0.1074 है0, 12 का 0.1064 है0, 19 का 0.1064 है0, 22 का 0.0984 है0 कुल 0.526 है0 सरबासिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार।
4. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.0840 है0, 3 का 0.126 है0, 8 का 0.126 है0, 9 का 0.0840 है0, 12 का 0.0850 है0, 13 का 0.126 है0, 18 का 0.127 है0, 19 का 0.0850 है0, 22 का 0.0760 है0, 23 का 0.1140 है0 कुल 1.0330 है0 सुखविन्द्रकौर पत्नि स्व. रमेशकुमार वगैरह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी हाल 1 बी छोटी साधुवाली वार्ड न. 5 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 3 का 0.1270 है0, 4 का 0.0840 है0, 7 का 0.0840 है0, 8 का 0.1270 है0, 13 का 0.1270 है0, 14 का 0.0840 है0, 17 का 0.0840 है0, 18 का 0.1260 है0, 23 का 0.1140 है0, 24 का 0.0760 है0, कुल 1.033 है0 कालूराम पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार।
6. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 4 का 0.1690 है0, 5 का 0.0420 है0, 6 का 0.0420 है0, 7 का 0.1690 है0, 14 का 0.1690 है0, 15 का 0.0420 है0, 16 का 0.0420 है0, 17 का 0.1690 है0, 24 का 0.1520 है0, 25 का 0.0380 है0 कुल 1.0330 है0 जगदीश पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार।


उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

7. चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 5 का 0.2110 है0, 6 का 0.2110 है0, 15 का 0.211 है0, 16 का 0.2110 है0, 25 का 0.1900 है0 कुल 1.0340 है0 अमरचन्द कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार।


अतः चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का मु.न. 23 रकबा 6.200 है0 कमाण्ड का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमानजी की सेवा मे सादर प्रेषित है।

प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा/इकबाल जवाब दावा पेश किया गया अतः प्रकरण में तनकी की आवश्यकता नहीं है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तहसील से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद पत्र निर्णित एवं डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज भूमि को उनके हिस्सा अनुसार तहसीलदार घड़साना से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाना उचित है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसील से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाता है जिसमे-

1. हंसराज पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी तहसील घड़साना खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 1,10,11,20 रकबा 1.012 है0, 21/0.228 है0, 2 का 0.010 है0, 9 का 0.010 है0, 12 का 0.010 है0, 19 का 0.010 है0, 22 का 0.087 है0 कुल रकबा 1.287 है0 रकबा।
2. सुभाषकुमार पुत्र हंसराज जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.0516, 9 का 0.0516 है0, 12 का 0.0516 है0, 19 का 0.0516 है0, 22 का 0.0466 है0 कुल 0.2530 है0 रकबा।
3. सरबासिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न 2 का 0.1074 है0, 9 का 0.1074 है0, 12 का 0.1064 है0, 19 का 0.1064 है0, 22 का 0.0984 है0 कुल 0.5260 है0 रकबा।
4. सुखविन्द्रकौर पत्नि स्व. रमेशकुमार वगैरह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी हाल 1 बी छोटी साधुवाली वार्ड न. 5 तहसील व जिला श्रीगंगानगर। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.0840 है0, 3 का 0.126 है0, 8 का 0.126 है0, 9 का 0.0840 है0, 12 का 0.0850 है0, 13 का 0.1260 है0, 18 का 0.1270 है0, 19 का 0.0850 है0, 22 का 0.0760 है0, 23 का 0.1140 है0 कुल 1.0330 है0 रकबा।


उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

5. कालूराम पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 3 का 0.1270 है0, 4 का 0.0840 है0, 7 का 0.0840 है0, 8 का 0.1270 है0, 13 का 0.1270 है0, 14 का 0.0840 है0, 17 का 0.0840 है0, 18 का 0.1260 है0, 23 का 0.1140 है0, 24 का 0.0760 है0, कुल 1.033 है0 रकबा।
6. जगदीश पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 4 का 0.1690 है0, 5 का 0.0420 है0, 6 का 0.0420 है0, 7 का 0.1690 है0, 14 का 0.1690 है0, 15 का 0.0420 है0, 16 का 0.0420 है0, 17 का 0.1690 है0, 24 का 0.1520 है0, 25 का 0.0380 है0 कुल 1.0330 है0 रकबा।
7. अमरचन्द कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 5 का 0.2110 है0, 6 का 0.2110 है0, 15 का 0.2110 है0, 16 का 0.2110 है0, 25 का 0.1900 है0 कुल 1.0340 है0 रकबा।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रिया बजाज)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिकी ::-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :- प्रिया बजाज, आर.ए.एस.)

-:: अनवान :-

- 1 अमरचन्द पुत्र कुन्दनसिंह उम्र 55 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चक 1 एमएलके-सी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
- 2 जगदीश पुत्र कुन्दनसिंह उम्र 52 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
- 3 सरबासिंह पुत्र कुन्दनसिंह उम्र 44 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, हाल पुरानी आबादी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

-वादीगण

बनाम

- 1 हंसराज पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
- 2 कालूराम पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 3 सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व. रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 4 राजपाल पुत्र रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 5 विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 6 वीना कुमारी पुत्री रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 7 सन्दीप कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना, हाल 1 बी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 8 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-53,88,188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 67 वर्ष 2022 (GCMS 2022/277) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री सीताराम टाक, वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 श्री हरजीत सिंह व राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि :-

वाद पक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण पक्षकारान की सहमति अनुसार स्वीकार किया जाता है वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की भूमि निम्नानुसार अलग-अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं:-

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 5 एमएलके के पत्थर नम्बर 32/49 के मुरबा नम्बर 23 की 6.200 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है -

1. हंसराज पत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी तहसील घड़साना खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 1,10,11,20 रकबा 1.012 है0, 21/0.228 है0, 2 का 0.010 है0, 9 का 0.010 है0, 12 का 0.010 है0, 19 का 0.010 है0, 22 का 0.087 है0 कुल रकबा 1.287 है0 रकबा।
2. सुभाषकुमार पुत्र हंसराज जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.0516, 9 का 0.0516 है0, 12 का 0.0516 है0, 19 का 0.0516 है0, 22 का 0.0466 है0 कुल 0.2530 है0 रकबा।
3. सरबासिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.1074 है0, 9 का 0.1074 है0, 12 का 0.1064 है0, 19 का 0.1064 है0, 22 का 0.0984 है0 कुल 0.5260 है0 रकबा।
4. सुखविन्द्रकौर पत्नि स्व. रमेशकुमार वगैरह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके-सी हाल 1 बी छोटी साधुवाली वार्ड न. 5 तहसील व जिला श्रीगंगानगर। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 2 का 0.0840 है0, 3 का 0.126 है0, 8 का 0.126 है0, 9 का 0.0840 है0, 12 का 0.0850 है0, 13 का 0.1260 है0, 18 का 0.1270 है0, 19 का 0.0850 है0, 22 का 0.0760 है0, 23 का 0.1140 है0 कुल 1.0330 है0 रकबा।
5. कालूराम पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 3 का 0.1270 है0, 4 का 0.0840 है0, 7 का 0.0840 है0, 8 का 0.1270 है0, 13 का 0.1270 है0, 14 का 0.0840 है0, 17 का 0.0840 है0, 18 का 0.1260 है0, 23 का 0.1140 है0, 24 का 0.0760 है0, कुल 1.033 है0 रकबा।
6. जगदीश पुत्र कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 4 का 0.1690 है0, 5 का 0.0420 है0, 6 का 0.0420 है0, 7 का 0.1690 है0, 14 का 0.1690 है0, 15 का 0.0420 है0, 16 का 0.0420 है0, 17 का 0.1690 है0, 24 का 0.1520 है0, 25 का 0.0380 है0 कुल 1.0330 है0 रकबा।
7. अमरचन्द कुन्दनसिंह जाति कुम्हार सा0 5 एमएलके खातेदार। चक 5 एमएलके (सीएडी सहित) का प.न. 32/49 का कि.न. 5 का 0.2110 है0, 6 का 0.2110 है0, 15 का 0.2110 है0, 16 का 0.2110 है0, 25 का 0.1900 है0 कुल 1.0340 है0 रकबा।

तहसीलदार घड़साना द्वारा उपरोक्त खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

नोज.....X.....मुबलिंग..... X.....बाबत..... X.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....X..... फसदों की पालना..... X.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।
बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ०७ .11.2025 को जारी की गई।

(प्रिया बजाज)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना